

10/2
20

भाजपट्ट पत्रावली वाकी कुश प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर पेशी में ली गई। वाकी द्वारा प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया गया कि प्रस्तुत वाद में मुक्त प्रार्थी को अपने इच्छित हिस्से तक की भूमि प्राप्त हो चुकी है। अब हमारे व अप्रार्थीगण के मध्य किसी प्रकार का वाद-विवाद हिस्से के बाबत नहीं रहा है। अतः अब मैं इक्त वाद चलाया नहीं चाहता इसलिए मैं प्रार्थी को अदाबत की भावना से अपना वाद। स्थगन आदेश प्रार्थना-पत्र विद्रोह करना चाहता हूँ। पत्रावली को भाज की तारीख पेशी में लेकर विद्रोह उरमाये जाने की आज्ञा प्रकाश करें। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली अरिजे विद्रोह ब्वादिज की जाती है। पत्रावली के सब शुमार उरकर वाद तबती तक मील कायिलु दफ्तर में।

SM

सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

शंकरदास

की
गई
है।
ना
अए
की

